संख्या :220/XLI-1/2017-123/2011 TC II

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढवाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादून। दिनांक : 16 फरवरी, 2017**

विषयः भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजना "Community Development through Polytechnics" (CDTP) के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII-I/2016 दिनांक 31.03.2016, शासनादेश संख्या–847/XXVII-I/2016 दिनांक 26.07.2016 एवं शासनादेश संख्या–1097/XXVII-I/2016 दिनांक 20.09.2016, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.21-11/2016-TS.IV दिनांक 30.09.2016 (Gen), पत्र संख्या–F.21-11/2016-TS.IV दिनांक 30.09.2016 (SC), पत्र संख्या–F.21-11/2016-TS.IV दिनांक 30.09.2016 (ST) एवं आपके पत्र संख्या–797/नि0प्रा0शि0/सी.डी.टी.पी./2016–17 दिनांक 26.10.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में **₹ 64.00 लाख (₹ चौंसठ लाख मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, संलग्नक–1 में अंकित विवरणानुसार विभिन्न पॉलीटैक्निक संस्थाओं के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु केन्द्रांश अवमुक्त करने हेतु निर्धारित अनुपात में ही संबधित श्रेणियों में व्यय किया जाएगा जिससे संबंधित सैक्टर को लक्षित लाभ की प्राप्ति हो सके।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, समस्त वित्तीय नियमों एवं तद्विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है तथा धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः......2

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय भारत सरकार के उपरोक्त शासनादेशों में वर्णित शर्तों, व्यवस्थाओं व प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2203–तकनीकी शिक्षा–105–बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण" के अधीन मानक मद '42–अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में **www.cts.uk.gov.in** से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक–2 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2016, दिनांक 26.07.2016 एवं दिनांक 20.09.2016 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 220 (1)/XLI(1)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक, उत्तराखण्ड।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।